द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पल्लवी तिवारी)

मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 71/2022

संस्थित दिनांक 06/10/2022

मनोज कुमार यादव पिता शिवकुमार यादव उम्र 32 वर्ष
निवासी ग्राम पामगढ ससहा , थाना व तहसील
पामगढ, जिला जांजगीर–चॉपा (छ.ग.)

.... **आवेदक**

// **बनाम**//

1. आकाश दास मानिकपुरी , उम्र 23 साल, पिता कैलाश दास
निवासी ग्राम झलमला थाना मुलमुला तह. पामगढ
जिला जांजगीर–चॉपा (छ.ग.) (वाहन चालक)
2. विकास यादव पिता संतोष यादव
निवासी ग्राम झलमला, थाना मुलमुला तहसील
पामगढ, जिला जांजगीर–चॉपा (छ.ग.) (वाहन स्वामी)
3. एच.डी.एफ.सी.इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लिमिटेड
द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय वार्ड नं.30 रानी
लक्ष्मी नगर मेगनेटो माल के पास बिलासपुर जिला बिलासपुर
(छ.ग.) (बीमा कंपनी)

.... **अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा श्री के.एन.कश्यप अधिवक्ता।

अनावेदक क्रं. 1 व 2 पूर्व से एकपक्षीय ।

अनावेदक क्रं.3 द्वारा श्री संदीप बनाफर अधिवक्ता।

–अधिनिर्णय–

(आज दिनांक 14/09/2023   को घोषित)

01– आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

02– आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.2022 को रात्रि करीब 9.00 बजे कबीर हीरो एजेंसी के पास मेन पामगढ मे आवेदक पैदल किनारे जा रहा था तभी अनावेदक क्रं.1 आकाश द्वारा मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आवेदक को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे आवेदक को गंभीर चोटें आयी तथा उसके सिर की हडडी टूट गयी । दुर्घटना के पश्चात से आवेदक चलने फिरने तथा काम काज करने मे असमर्थ हो गया और आवेदक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है । दुर्घटना की सूचना मनीराम यादव द्वारा थाना पामगढ मे दी गयी जिससे थाना

पामगढ मे अपराध क्रमांक 164/2022 दर्ज कर विवेचना उपरांत अनावेदक क्रं.1 आकाश के विरुद्व धारा 279,337,338 भा.दं.सं. के अंतर्गत पामगढ न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया । दुर्घटना के पश्चात आवेदक का शासकीय अस्पताल पामगढ मे प्रारंभिक उपचार पश्चात युनीटी अस्पताल बिलासपुर मे आवेदक का ईलाज एवं आपरेशन हुआ है । आवेदक के सिर की हडडी टूट जाने एवं शरीर मे गंभीर चोटें आने से 50 प्रतिशत की विकलांगता कारित हुई है । आवेदक का मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है तथा चल फिर पाने व काम काज करने मे असमर्थ हो गया है । अनावेदक क्रं.1 वाहन चालक है तथा अनावेदक क्रं.2 वाहन स्वामी होकर उक्त मोटर सायकल अनावेदक क्रं.3 के पास घटना दिनांक को बीमित थी । आवेदक की ओर से ईलाज व दवाई मे हुए खर्च, पौष्टिक आहार, शारीरिक मानसिक पीडा आदि विभिन्न मदो मे कुल 22,00, 000/–रूपए एवं उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।

03– अनावेदक क्रं.1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है कि अनावेदक क्रं.2 के स्वामित्व की मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 को अनावेदक क्रं.1 द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर किसी प्रकार की दुर्घटना

कारित नहीं की गयी है । आवेदक द्वारा अनावेदकगण के विरुद्व झुठे तथ्यों के आधार पर अपराध दर्ज कराकर यह दावा प्रस्तुत किया गया है । अनावेदक क्रं.1 आकाश दास लायसेंसी चालक है, यदि उक्त मोटर सायकल से दुर्घटना होना पाया जाता है तो उक्त वाहन संपूर्ण जोखिम के लिए दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रं.3 बीमा कंपनी के पास बीमित होने से संपूर्ण प्रतिकर राशि की अदायगी का उत्तरदायित्व अनावेदक क्रं.3 बीमा कंपनी की है ।

04– अनावेदक क्र. 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि आवेदक द्वारा दिनांक 17.03.2022 की कथित दुर्घटना की रिपोर्ट अनावेदक क्रं.1 व 2 वाहन चालक और स्वामी तथा पुलिस थाना पामगढ से मिलकर दिनांक 16.04.2022 को एक माह पश्चात बीमा कंपनी से प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है । दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रं.1 के पास कथित मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था, इसलिए बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी प्रतिकर राशि हेतु जिम्मेदार नहीं है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन समयबाधित है । उक्त दुर्घटना बीमाकृत वाहन से घटित नहीं हुई है । आवेदक अनावेदक क्रं.1 व 2 से दुरभिसंधी कर यह दावा आवेदन प्रस्तुत किया

गया है । इसलिए अनावेदक क्रं.3 बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु जिम्मेदार नहीं है ।

05– प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किया गया है। जिनके निष्कर्ष सकारण विनिश्चय उपरांत उनके सम्मुख अभिदर्शित किये जा रहे हैः–

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या अनावेदक क्रं.1 ने उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 चलाकर एक्सीडेंट किया, जिसमे आवेदक मनोज कुमार को गंभीर उपहति कारित हुई?	**''प्रमाणित''**
2	क्या आवेदक, अनावेदकगण से 22,00,000/– रुपये क्षतिपूर्ति 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?	**''कंडिका 23 के अनुसार''**
3	सहायता एवं व्यय ?	**''आंशिक स्वीकार'' (कंडिका 24 के अनुसार)**

//सकारण विनिश्चय//

वाद प्रश्न क्रमांक 1:

06– आवेदक मनोज यादव (आ.सा.–1) ने अपने अभिवचन अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथपत्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जिसमे बताया है कि दिनांक

17.03.2022 को मेन रोड पामगढ कबीर हीरो एजेंसी के पास आवेदक रोड के किनारे पैदल जा रहा था तभी मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 के चालक अनावेदक क्रं.1 आकाश दास ने वाहन को तेजी और लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसे ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया, जिससे इसे गंभीर चोटें आयी और वर्तमान मे भी इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है । उक्त दुर्घटना की सूचना मनीराम यादव द्वारा थाना पामगढ मे दिया था, जिस आधार पर थाना पामगढ मे अपराध क्रमांक 164/2022 दर्ज कर विवेचना उपरांत अनावेदक क्रं.1 आकाश के विरुद्व धारा 279,337,338 भा.दं.सं. के अंतर्गत पामगढ न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।

07– आवेदक मनोज यादव (आ.सा.–1) द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ के दां.प्र.क्रं. 615/22 का अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2, अपराध विवरण फार्म प्र.पी.3, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.4, आकाश का गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.5, दुर्घटना कारित वाहन का मुलाहिजा प्र.पी.6 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतिपरीक्षण मे इसने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि दुर्घटना मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 से दिनांक 17.03.2022 को रात्रि 9.00 बजे पामगढ मे

कबीर हीरो एजेंसी के पास घटित नहीं हुई थी । इसने स्वीकार किया है कि दिनांक 17.03.2022 की दुर्घटना की रिपोर्ट दिनांक 16.04.2022 को प्र.पी.2 के माध्यम से दर्ज हुई, इसने स्वतः कथन कर बताया है कि ईलाज चल रहा था, इस कारण विलंब से रिपोर्ट दर्ज की थी । इसने इस सुझाव को गलत होना कहा है कि बीमा कंपनी से प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अनावेदक क्रं.1 और 2 तथा पुलिस थाना पामगढ से मिलकर आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज प्र.पी.1 से प्र.पी.6 को झुठा तैयार करवाया है ।

08– उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2 के अवलोकन से दर्शित होता है कि दिनांक 17.03.2022 को मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 के चालक द्वारा इसके पैदल जाते समय एक्सीडेंट करने के संबंध मे दिनांक 16.04.2022 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसमे विलंब का कारण ईलाज के बाद उल्लेखित किया गया है । घटनास्थल के नजरी नक्शा प्र.पी.3 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.4 के अवलोकन से दर्शित होता है कि मेन रोड पर दुर्घटना कारित हुई है और घटनास्थल के पास ही कबीर (नीरज हीरो) एजेंसी है तथा अनावेदक क्रं.1 से दुर्घटना कारित मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 का आर.सी.बुक, जिसमे वाहन स्वामी अनावेदक क्रं.2 का

नाम उल्लेखित है, बीमा पालिसी और अनावेदक क्रं.1 के ड्रायविंग लायसेंस को अनावेदक क्रं.1 से जप्त किया गया है । अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.1 के अवलोकन से दर्शित होता है कि थाना पामगढ मे दर्ज अपराध क्रमांक 164/2022 संपूर्ण विवेचना पश्चात मनोज यादव के साथ दुर्घटना होने के संबंध मे अनावेदक क्रं.1 के विरुद्व धारा 279,337,338 भा.दं.सं. के अंतर्गत संबंधित न्यायालय मे अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

09– अनावेदक क्रं.3 के साक्षी प्रखर अग्रवाल (अना.सा.1) ने मुख्य परीक्षण साक्ष्य मे बताया है कि आहत मनोज कुमार यादव दिनांक 17.03.2022 को युनीटी अस्पताल बिलासपुर मे अपने स्वयं के मोटर सायकल को चलाते हुए गिरने से चोटें आने के कारण भर्ती हुआ था, जिसका ईलाज डॉ.अंकित ठकराल किम्स बिलासपुर द्वारा किया गया है । अनावेदक क्रं.3 ने इस संबंध मे डिस्चार्ज समरी प्र.डी.2 प्रस्तुत किया है ।

10– साक्षी प्रखर अग्रवाल (अना.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण मे स्वीकार किया है कि इसने घटना होते हुए नहीं देखा है और इनकी कंपनी ने घटना का अन्वेषण नहीं कराया है, इसने स्वतः कथन कर बताया है कि पुलिस कागजात के आधार पर इसने कथन किया है और आगे स्वीकार किया है कि पुलिस थाना

पामगढ के अपराध क्रमांक 164/2022 के संबंध मे इसकी कंपनी के द्वारा किसी न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारियों के समक्ष कोई शिकायत नहीं किया गया है । इसने स्वीकार किया है कि प्र.डी.2 डिस्चार्ज समरी मे चलती हुई गाडी से गिरने की बात/घटना बताने वाले किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है ।

11– इस प्रकार यह दर्शित होता है कि अनावेदक क्रं.3 ने संबंधित दांडिक प्रकरण की विवेचना मे पुलिस अधिकारियों द्वारा एकत्रित किये गये दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक क्रं.1 द्वारा मोटर सायकल से दुर्घटना कारित नहीं होने का बचाव लिया गया है, जबकि पूर्व विश्लेषण अनुसार दांडिक प्रकरण के संबंध मे विवेचना उपरांत पुलिस अधिकारियों द्वारा अनावेदक क्रं.1 के विरुद्व धारा 279, 337,338 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

12– विधिक सिद्वांतों के अनुसार यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अधिकरण द्वारा साक्ष्य के सभी दृष्टिकोण को ध्यान मे रखा जाना चाहिए, जबकि प्रकरण मोटर दावा अधिकरण से संबंधित हो, क्योंकि ऐसे प्रकरणो मे दुर्घटना को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर आवेदकगण को प्रमाणित करना होता है, न कि संदेह से परे । अपराध को प्रमाणित करने का सिद्वांत इस प्रकरण मे लागू नहीं होते हैं ।

13– यहां यह भी अवलोकनीय है कि इस संबंध में **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध पुष्पा राणा एवं अन्य 2009 ACJ 287 मे** माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत अवधारित किया है कि दाण्डिक न्यायालय के प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि के दस्तावेज इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त है कि दुर्घटना कारित वाहन का चालक वाहन चलाने में उपेक्षावान था तथा दुर्घटना कारित वाहन के चालक की उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाने के परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई थी। इस प्रकरण में भी आवेदक ने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किया है।

14– अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अनावेदक क्रं01 द्वारा मोटर सायकल क्रमांक CG 11 BE 5422 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आवेदक मनोज यादव को एक्सीडेंट किया, जिससे मनोज यादव को गंभीर चोटें कारित हुई । अतः **वाद प्रश्न क्रमांक 1** का निष्कर्ष है प्रमाणित निर्णित किया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक 2

15– आवेदक मनोज कुमार यादव ने दुर्घटना दिनांक 17.03.2022 के परिणाम स्वरुप उसे सिर मे गंभीर चोटें आने का कथन किया है और प्रारंभिक

ईलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ मे तत्पश्चात युनीटी अस्पताल बिलासपुर मे दिनांक 17.03.2022 से दिनांक 08.04.2022 तक और दुबारा दिनांक 20.06.2022 से दिनांक 29.06.2022 तक भर्ती रहना और वर्तमान मे भी इसका ईलाज चलने का कथन किया है, इसने उक्त चोट के कारण भविष्य मे भी ईलाज होने का कथन किया है और 30 प्रतिशत स्थायी विकलांगता आ जाना बताया है तथा इस संबंध मे प्र.पी.7 से प्र.पी.42 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं और कुल 22 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की गई है ।

16– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टान्त **राजकुमार** विरूद्ध **अजय कुमार व अन्य** (2011) 1 SCC 343 के पैरा 6 में वर्णित अनुसार व्यक्तिगत क्षति के मामले में निम्नलिखित शीर्ष में क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाना चाहिए।

पैराग्राफ 6-

The heads under which compensation is awarded in personal injury cases are the following:

Pecuniary damages (Special damages)

(i) Expenses relating to treatment, hospitalisation, medicines, transportration,

nourishing food, and miscellaneous expenditure.

(ii) Loss of earnings (and other gains) which the injured would have made had he not been injured, comprising:

(a) Loss of earning during the period of treatment ;

(b) Loss of future earnings on account of permanent disability.

(iii) Future medical expenses.

Non-pecuniary damages (General damages)

(iv) Damages for pain, suffering and trauma as a consequence of the injuries.

(v) Loss of amenities (and/or loss of prospects of marriage).

(vi) Loss of expectation of life (shortening of normal longevity).

In routine personal injury cases, compensation will be awarded only under heads (i), (ii)(a) and (iv). It is only in serious cases of injury, where there is specific medical evidence corroborating the evidence of the claimant, that compensation will be granted under any of the heads (ii)(b), (iii), (v) and (vi) relating to loss of future earnings on account of permanent disability, future medical expenses, loss of amenities (and/ or loss of prospects of marriage) and loss of expectataion of life.

17– उक्त न्यायादृष्टांत के प्रकाश में आवेदक द्वारा ईलाज एवं दवाई के संबंध मे प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक मनोज यादव युनीटी अस्पताल बिलासपुर मे दिनांक 17.03.2022 से दिनांक 08.04.2022 तक तथा दिनांक 20.06.2022 से दिनांक 29.06.2022 तक उसे आयी सिर मे गंभीर चोट के संबंध मे भर्ती रहकर ईलाज कराया है तथा व्यय के संबंध मे प्रस्तुत बिल प्र.पी.14 से प्र.पी.42 तक के बिलो मे प्र.पी.16 तथा प्र.पी.19 को छोडकर कुल योग 6,25,152/– रुपये होता है ।

18– आवेदक की ओर से परिवहन के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः परिवहन व्यय के मद मे किसी राशि का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । आवेदक ने उसे भविष्य मे आय मे हानि एवं स्थायी विकलांगता के संबंध मे आवेदन मे अवश्य अभिवचन किया है, परंतु इस संबंध मे कोई प्रमाण आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण मे यह भी स्वीकार किया है कि इसने प्रकरण मे अपंगता प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है ।

19– आवेदक मनोज यादव युनीटी अस्पताल बिलासपुर मे दिनांक 17.03.2022 से दिनांक 08.04.2022 तक तथा दिनांक 20.06.2022 से दिनांक 29.06.2022 तक कुल 30 दिन उसे आयी सिर मे गंभीर चोट के संबंध

मे भर्ती रहकर ईलाज कराया है । अतः तत्समय प्रचलित मंहगाई दरों को ध्यान मे रखते हुए 100 रुपये प्रतिदिन के आधार पर पौष्टिक आहार का व्यय 30x100= 3000/–और उसकी देखरेख हेतु रखे गये एक सहयोगी का व्यय 30x100= 3000/– रुपये निर्धारित किया जाता है।

20– चूँकि आवेदक कुल 30 दिन तक अस्पताल मे भर्ती रहकर ईलाज कराया है । अतः उक्त 30 दिन मे आवेदक द्वारा आय अर्जन हेतु कार्य किया जाना संभव नहीं है । आवेदक ने स्वयं को राजमित्री होना बताकर 15000/– रुपये मासिक आय अर्जित करने का कथन किया है, परंतु इस संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है ।

21– अतः कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ के अधिसूचना क्रमांक/आठ/ न्यू0 वे0/श्र 0 आ 0/2021/7001 नवा रायपुर, दिनांक 17.03.2022 की अनुसूची "क'' में उल्लेखित अनुसार 262/–रूपए प्रतिदिन एवं 7855 /–रूपए प्रतिमाह आय निर्धारित की गयी है। जिसके अनुसार घटना के समय आवेदक की मासिक आय 7845 /– रूपए मासिक आय अभिनिर्धारित की जाती है। अतः आवेदक 30 दिन की आय 7855/– रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है ।

22– दुर्घटना से आवेदक को आयी उपहति को देखते हुए चूँकि आवेदक दो बार अस्पताल मे भर्ती रहकर ईलाज कराया है । अतः गैर आर्थिक क्षति के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा /कष्ट के मद में 1,50,000/– रूपये क्षतिपूर्ति राशि अभिनिर्धारित की जाती है।

23– इस प्रकार ईलाज एवं दवाई का व्यय 6,25,152/– रुपये , पौष्टिक आहार एवं अन्य व्यय कुल 3000+ 3000= 6000/–रुपये , आवेदक को ईलाज के दौरान आय की हानि के मद मे 7855/–रुपये और गैर आर्थिक क्षति के मद मे1,50,000/–रुपये, इस प्रकार कुल 6,25,152+ 6000+ 7855+ 1,50,000 = 7,89,007/–रूपये (सात लाख नवासी हजार सात रुपये) क्षतिपूर्ति राशि आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथकतः पाने का पात्र है। उपरोक्तानुसार **वाद प्रश्न क्रमांक 2 निर्णीत** किया जाता है ।

<u>सहायता एवं व्यय</u>

24– उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आंशिक स्वीकार करते हुए निम्नानुसार एवार्ड पारित किया जाता हैः–

01– आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्तः एवं पृथकतः 7,89,007/– रूपये (सात लाख नवासी हजार सात रुपये) प्रकरण संस्थित दिनांक से राशि प्राप्ति दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है।

02– उक्त संपूर्ण राशि मे से आवेदक को 50,000/–रूपए (पचास हजार रुपये)उसके बचत खाते में न्यायालय के खाते से नियमानुसार अंतरित की जाए तथा शेष राशि 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा रखी जाए।

03– आवेदक को यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि अदा की गई हो तो वह राशि मूल राशि में समायोजित की जाए।

04– अनावेदक क्रं. 3 ब्याज सहित उक्त राशि आज दिनांक से तीस दिनो के अंदर अधिकरण में जमा करेंगें ।

05– आवेदक का वाद व्यय अनावेदक क्रं. 3 वहन करेगा।

06– अधिवक्ता शुल्क 500/–रूपए निर्धारित किया जाता है। जिसे वाद व्यय में जोड़ा जाएं।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाए।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित/दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अति. मो.दु.दा.अधिकरण, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अति. मो.दु.दा.अधिकरण, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

व्यय तालिका

क्र.	विवरण	आवेदकगण	अनावेदक क्र. 1 व 2	अनावेदक क्र. 3
1	मूल आवेदन पत्र	40.00	–	–
2	वकालतनामा	5.00	05.00	05.00
3	आवेदन पत्र व शपथ पत्र			25.00
4	अधिवक्ता शुल्क	500.00		500.00
5	आदेशिका शुल्क	15.00		–
योग		**560.00**	**505.00**	**530.00**

सही/–
(श्रीमती पल्लवी तिवारी)
द्वितीय अति. मो.दु.दा.अधिकरण, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपां (छ.ग.)